

## न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का गागंवा

बनाम

अप्रार्थी :- श्री भवंरलाल, कुन्दनलाल, बाबूलाल / उगमाराम गुर्जर साकिन नाका

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 23/18

निर्णय दिनांक 09/10/2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गागंवा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद नाका के ख.न. 75 रकबा 0.41 हेक्टर भूमि किस्म गै.मु.नाला में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी का नोटिस अप्रार्थी की स्वयं व भाई से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। नोटिस प्राप्त के बावजूद भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार गागंवा के ख.न. 75 रकबा 0.41 बिघा भूमि किस्म गै.मु.नाला में अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही लगान दर 5.00. रूपये प्रति हेक्टर से अतिक्रमित भूमि 0.41 हेक्टर भूमि के लगान रूपये 2.05 का 50 गुणा 103/एक सौ तीन रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। एवं तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे साथ ही भू.अ. निरीक्षक मंगलाना को आदेश दिए जाते हैं कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने में पटवारी हल्का का पूर्ण सहयोग कर बेदखली की रिपोर्ट 7 सात दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार परबतसर